बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक – 12 /पटना, दिनांक 06.06.2016

प्रेषक,

ई0 इन्दुभूषण कुमार
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग,
पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय : – सी0यू0जी मोबाईल प्रत्येक दिन चौबीसों घंटे चालू रखने के संबंध में।

प्रसंग : – विभागीय पत्रांक 591 दिनांक 18.04.2016 एवं 695 दिनांक 06.05.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपके प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों को GSM Based Close User Group (CUG) के मोबाईल सिम उपलब्ध करा दिया गया है।

आप अवगत होंगे कि यह सुविधा टेलीफोन सर्विस के साथ क्षेत्रीय अभियंताओं के अपने–अपने मुख्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकिंग कार्य हेतु प्रदान की गयी है।

विभागीय आदेश 591 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका (7) में सभी CUG मोबाईल धारकों को प्रत्येक दिन 24 घंटे मोबाईल चालू रखने का निदेश है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस निदेश का अनुपालन पूर्ण रुपेण नहीं हो रहा है।

आप सभी को पुनः निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के कार्यान्चयन हेतु यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी CUG मोबाईल धारक अभियंता कार्यालय दिवसों के साथ–साथ शनिवार, रविवार एवं अन्य सभी छुट्टियों के दिनों में भी 24 घंटे मोबाईल चालू रखेगें।

CUG मोबाईल चौबीसों घंटे कार्यरत रखने हेतु विभाग द्वारा सभी मोबाईल धारकों को पॉवर बैंक उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। अतः मोबाईल चार्ज नहीं रहने के आधार पर मोबाईल बंद होने का स्पष्टीकरण मान्य नहीं किया जाएगा।

ट्रैकिंग के दौरान जिन अभियंताओं/पदाधिकारियों का मोबाईल बंद पाया जाएगा, उनकी यह कार्रवाई गंभीर कदाचार एवं कर्तव्यहीनता की श्रेणी की मानी जाएगी एवं इस आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए गंभीर रुप से दंडित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

6/6/16

(इन्दुभूषण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)